न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष / सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर,म.प्र.

निगरानी-4844/2018/बुरहानपुर/भू.रा.

(125)

पुन. क्र. : /2018
प्रस्तुत दिनांक : .07.2018

1. श्रीमती कमलाबाई आयु करीब 60 वर्ष विधवा आनंदाराठौर
2. पवन राठौर आयु 40 वर्ष पिता स्व. आनंदा राठौर
3. दिपक राठौर आयु 36 वर्ष पिता स्व.आनंदा राठौर
क्रमांक 1 लगायत 3 निवासी बाजार पटटी, जैनाबाद बुरहानपुर, म.प्र.
4. श्रीमती लिलाबाई उम्र लगभग 50 वर्ष विधवा स्वर्गीय प्रकाश राठौर निवासी बाजार पटटी, जैनाबाद, बुरहानपुर
5. श्रीमती सरिताबाई आयु करीब 30 वर्ष पति रमेश चौधरी पुत्री स्वर्गीय प्रकाश राठौर, निवासी सुरत (गुजरात)

—— निगरानीकर्तागण

वि रू ध्द

1. श्री प्रभाकर राठौर आयु करीब 60 वर्ष पिता स्वर्गीय वामनराव राठौर, निवासी 240 / 1, दाउदपुरा, बुरहानपुर
2. पांडूरंग राठौर आयु करीब 58 वर्ष पिता वामनराव राठौर, निवासी बी–8, इंदिरा कॉलोनी, बुरहानपुर, म.प्र.

—— अनावेदकगण

म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका
निगरानीकर्तागण / आवेदकगणो की ओर से

याचिकाकर्तागण अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुरहानपुर के समक्ष प्रचलित राजस्व प्रकरण क्रमांक 20अ / 27 सन 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2017, प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय बुरहानपुर के समक्ष प्रचलित अपील क्रमांक 49अपील / वर्ष 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2017 एवं तत्पश्चात अपर आयुक्त महोदय इंदौर के समक्ष अपंजीबध्द द्वितीय अपील में प्रारंभिक सुनवाई में अपील अग्राहय किये जाने के आदेश दिनांक 14.06.2018 से पीडित एवं व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहे हैं :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/4844/2018/बुरहानपुर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-8-2018	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के आदेश दिनांक 14-6-2018 की सत्यप्रति का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्तके आदेश से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील प्रचलन योग्य नहीं थी किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । अत: अनुविभागीय अधिकारी के उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश को अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में निरस्त करना चाहिये था । 2/ आवेदक की इस निगरानी पर तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 6-6-2017 के विरूद्ध मूलत: प्रस्तुत होने पर विचार किया गया । उक्त आदेश में तहसील न्यायालय ने उनके समक्ष कार्यवाही को स्थगित किया था जो बाद की आदेश पत्रिकाओं से स्पष्टहै कि जब सुनवाई तहसील में पुन: प्रारम्भ होने से यह निगरानी निरर्थक हो गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	